न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 73/2022(GCMS : 2022/11)

1. **बद्रीप्रसाद** पुत्र स्व. श्री दयाराम जाति नायक निवासी गांव हुणतपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

--- **प्रार्थी**

बनाम

1. **श्योकोरी** पत्नी श्री चेतराम जाति मेघवाल निवासी वीपीओ बीझबायला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
2. **उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर**, श्रीगंगानगर

--- **अप्रार्थी**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

08.08.2023

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री हरवीर सिंह बराड़ एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री बलराम स्वामी उपस्थिति हुए। उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री बलराम स्वामी ने कथन किया कि प्रार्थी ने यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में अन्तर्गत धारा 251–ए आर.टी.ए. के विचाराधीन प्रकरण अनवानी श्योकोरी बनाम दयाराम आदि में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर अन्यत्र स्थानान्तरण करने की प्रार्थना की थी किन्तु अब तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है इसलिये यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी हो गया है, इसलिए इसे खारिज किया जावे।

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री हरवीर सिंह बराड़ ने कथन किया कि अगर उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर का स्थानान्तरण होने के आधार पर उनका मुंतकिली प्रार्थना खारिज किया जाता है, उन्हें कोई एतराज नहीं है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 49/2018 अनवानी श्योकोरी बनाम दयाराम आदि अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने [illegible] के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.09.01 17:02:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 23.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.09.01 17:02:02 IST
Reason: SelfAttested